कार्यालय

प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा

सेवा में.

वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोडा।

- विषय जनपद बागेश्वर के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग सं0 309 ए० के कि0मी0 171.00 से 206.00 (बेरीनाग—चकोड़ी—काण्डा—बागेश्वर—ताकुला) दो लेन में चौड़ीकरण हेतु 18.405 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लो0नि0वि0 को प्रत्यावर्तन (प्रस्ताव सं0 FP/UK/ROAD/151120/2022)
- संदर्भ भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून का पत्र सं0 08 बी0/यू0सी0पी0/06/80/2022/एफ0सी0/443 दिनॉक 30.06.2023। महोदय.

उपरोक्त विषयक के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि विषयांकित वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव में भारत सरकार द्वारा 2 बिन्दुओं पर आपितत लगायी गयी है, जिसका निराकरण प्रस्तावक विभाग द्वारा ऑनलाईन कर दिया गया है, जो निम्नवत है :--

क्र. सं.	आपत्ति	निराकरण
1	State Government is requested to replace the 6 Ha. VDF area with some other suitable area and provide suitability certificate regarding the suitability of planning 1000/ha. trees area with remaining MDF	As per objection the area 6.00 Ha. which was found VDF has been replaced in same range and related map's and suitability certificate attached herewith.
2	State Government is requested to submit the documentary evidence to prove that the road was constructed before 1980.	User agency replied that the project has been constructed prior to the implementation of forest Clearance Act, 1980. Road side land control act of 1970 is already attached. Existing road can be seen in Survey of India toposheet released prior to year 1980.

संलग्नक-उपरोक्तानुसार 4-4 प्रतियों में।

भवदीय,

प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा।